

टेलीफोन वार्ता को चोरी से सुने जाने संबंधी केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन

699. डा. रत्नाकर पाण्डेय :
श्री चिमनभाई मेहता :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के शासन काल में वर्तमान प्रधानमंत्री के टेलीफोनो को चोरी से सुने जाने के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री और संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) इस रिपोर्ट को लोक सभा की विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया गया है जो टेलीफोन टेप करने संबंधी प्रश्न की जांच कर रही है।

देश में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जैसे स्वायत्तशासी निगमों की प्रणाली का समाप्त किया जाना

700. डा. रत्नाकर पाण्डेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में "टेलीफोनो" और इसकी सम्बद्ध दूरसंचार सेवाओं के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जैसी स्वयत्तशासी निगम प्रणाली स्थापित करने की कुछ पूर्व योजनाओं को समाप्त करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री और संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जयप्रकाश) : (क) और (ख) सरकार ने देश में दूरसंचार संगठन के पुनर्गठन संबंधी पहलुओं पर विचार

करने और वित्तीय विवक्षाओं आदि के साथ-साथ विकास एवं प्रचलन संबंधी आवश्यकतओं को मद्देनजर रखते हुए अत्यन्त उपयोगी संगठनात्मक ढांचे की सिफारिश करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट मिल जाने के बाद इस संबंध में उपर्युक्त निर्णय लिया जा सकेगा।

दिल्ली में डाकतार विभाग के कर्मचारियों को आवास सुविधाएं

701. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को आवास सुविधा प्रदान की जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि संचार मंत्री द्वारा कर्मचारियों को बिन बारी के आवास आवंटन की स्वीकृति दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो 1 फरवरी 1990, से 30 नवम्बर, 1990 तक किए गए ऐसे आवंटनों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री और संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) बिन बारी के आधार पर क्वार्टर अलाट करने संबंधी 71 मामलों को मंजूर किया गया था। 44 मामलों में क्वार्टर अलाट कर दिए गए हैं और शेष मामलों में क्वार्टर खाली होने पर क्वार्टर अलाट किए जाएंगे। ब्यौरे का विवरण I और II में दिए गए हैं।